



**RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED**

( A Government of Rajasthan Enterprise)

Regd. Office-C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur-302005

**SBU & PC-LIGNITE**

Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Ph. 2227938, 2227947, Fax.141-2227761

E-mail rsmmljpr@sancharnet.in

Ref:F.8(2)187/2013/

Dated: June 28, 2013

**REQUIRE**

RSMML, an above 1000 crores turnover and a profit making Government of Rajasthan enterprise having core business of mining, intends to appoint qualified Probationer Trainees for Lignite Mines as Under:-

S.No	Name of post	No. of posts	Reservation			** Pay Band & Grade Pay (Rs.)	Maximum age as on 30.06.2013
			SC	ST	OBC		
1.	Assistant Overman	8	2	1	1	*Fixed Remuneration Rs.13050/- pm **PB-2 (9300-34800) & GP Rs.4200/-	26 Years
2.	Mining Sirdar	21	4	3	2	*Fixed Remuneration Rs.8950/- pm **PB-1 (5200-20200) & GP Rs.2800/-	26 Years

\*during probation  
\*\* after successful completion of probation period.

The initial appointment on the post will be on probation for a period of two (2) years on monthly fixed remuneration, as above, which is subject to the State Government directives issued in this regard from time to time. For detailed advertisement, visit our website - [www.rsmm.com](http://www.rsmm.com). The prescribed application form can be down-loaded from our website or can also be obtained from the Personnel Department, RSM Ltd., Khanij Bhawan, Udyog Bhawan Campus, Tilak Marg, Jaipur-302005 (Raj.). Last date of receipt of application in the prescribed form is 13.08.2013.

**GROUP GENERAL MANAGER**



## RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

( A Government of Rajasthan Enterprise)

Regd. Office-C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur-302005

### SBU & PC-LIGNITE

Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Ph. 2227938, 2227947, Fax.141-2227761

E-mail rsmmljpr@sancharnet.in

Ref:F.8(2)187/2013/

Dated: June 28, 2013

## REQUIRE

(1) **ASSISTANT OVERMAN** : 8 posts (SC-2, ST-1, OBC-1 & Gen.-4)

**Qualification:** Sr. Secondary with Overman's Certificate of Competency under CMR-1957 **OR** Diploma in Mining Engineering with one year experience in Underground Coal Mines.

(2) **MINING SIRDAR** : 21 Posts (SC-4, ST-3, OBC-2 & Gen.-12)

**Qualification:** Sr. Secondary having Mining Sirdar's Certificate of Competency under CMR-1957 with valid First Aid Certificate.

Sl. No. of the post.	Monthly fixed remuneration	Pay Band	Pay Scale	Maximum age as on 30.06.2013
1	Rs.13,050/-	2	Rs.9300-34800 & Grade Pay Rs.4200/-	26 Years
2	Rs.8,950/-	1	Rs.5200-20200 & Grade Pay Rs.2800/-	26 Years

### Terms & Conditions of Appointment:

- (1) The initial appointment on the post will be on Probation for a period of two (2) years from the date of joining on above monthly fixed remuneration which may change subject to the State Government directives issued in this regard from time to time.
- (2) During the period of probation, except fixed remuneration; no allowances such as HRA, DA, CCA etc. would be payable. No leave, except 12 (twelve) days Casual Leave and medical reimbursement for self will be allowed during this period. Production incentive will be admissible as per company's rules.

- (3) After successful completion of two (2) years probation period, probationer trainee may be absorbed in the company in the regular pay scale as mentioned above, subject to satisfactory performance, with all other allowances as admissible under the rules of the company. The selected candidate's shall be required to execute a bond giving undertaking to serve the company for a period of at least 03 (three) years from the date of absorption.
- (4) OBC candidates shall be required to submit the caste certificate of OBC (Non Creamy Layer) of the current financial year.
- (5) (a) The age limit shown against above table is the normal age limit and the age is relax able for SC/ST/OBC up to 5 years in respect of vacancies reserved from them. SC/ST/OBC candidates will have to produce the caste certificate in prescribed proforma (Rajasthan Govt.).
  - (a) The Departmental candidates will be given age relaxation up to 40 years for Trainee Probationer.
  - (b) Benefit of reservation admissible as per directives of the Govt. of Rajasthan issued from time to time. SC/ST/OBC candidates belonging to outside Rajasthan will be treated as **"General"** candidates. Reservation & age relaxation to women (including widows) candidates will be as per Government of Rajasthan directives.
- (6) Those employed in Government / Semi Government / Public Sector Organizations should apply through proper channel or submit the NOC of concerned department/organization at the time of interview in the absence of which their candidature is liable to be cancelled.
- (7) Outstation candidates called for interview shall be paid to & fro second class Railway/Bus fare for Trainee Probationers by the shortest route from the place of present address on submission of ticket/money receipt.
- (8) Application received after due date or incomplete in any form will summarily be rejected for which no correspondence will be made. No application submitted without requisite fees (Demand Draft) shall be entertained.
- (9) If a large number of applications are received , only those candidates who are short listed on the basis of higher qualification or experience shall be considered for interview.
- (10) Disqualifications for appointment:-
  - a. NO male/female candidate who has more than one wife/husband living, shall be eligible for appointment to the service unless the company after being satisfied that there are special grounds permissible under Personal Law for doing so, exempt any candidate from the operation of this rule.
  - b. No female candidate who is married to a person having already a wife living shall be eligible for appointment to the service unless the company, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.
  - c. No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry. **(Explanation: For the**

**purpose of this rule dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 Central Act 28 of 1961).**

- d. No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 01.06.2002:
  - i. Provided that the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment, so long as the number of children he/she has on 01.06.2002 does not increase.
  - ii. Provided further where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number or children.
- e. Canvassing in any form will be treated as disqualification.

(11) RSMML, reserves the right to modify/alter/restrict/enlarge/cancel the recruitment process, if need to arises, without issuing any further notice or assigning any further notice/any reasons thereafter. The decision of the Management in this regard will be final.

(12) Please visit our website time to time for exact dates of interview and updation of other information.

Applicant should apply in the prescribed Performa which can be downloaded from our website [www.rsmm.com](http://www.rsmm.com) enclosing attested true copies for proof of age, cast, degree/mark sheet, competency certificate, certificate of experience, if any, etc. should be sent to the Group General Manager (Lignite), Rajasthan State Mines & Minerals Limited, Khanij Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 (Rajasthan) alongwith a non refundable crossed Indian Postal Order/Demand Draft of Rs.250/- (Rs.125/- for SC/ST candidates) drawn in favour of "RSMML" payable at Jaipur latest ;by 13.08.2013 in an envelop super scribing the post applied for (in capital letters) on the envelope by Dak. Application fee is not refundable in any condition and RSMML will not be responsible for any postal delay or wrong deliveries. Application will be received through post (Dak) only.

**GROUP GENERAL MANAGER**



**RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED**

( A Government of Rajasthan Enterprise)

Regd. Office-C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur-302005

**SBU & PC-LIGNITE**

Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Ph. 2227938, 2227947, Fax.141-2227761

E-mail rsmmljpr@sancharnet.in

**APPLICATION FORM**

**(Advertisement No. F.8(2)187/2013)**

1. Name of post applied for.....  
Recent Passport  
Size Photograph  
Duly attested by  
Gazetted officer.
2. Name (in full)  
(Block Letters)
3. (i) Father's name .....  
(ii) Mother's name .....
4. Permanent address: .....  
.....  
.....Pin Code.....
5. Present Address: .....  
.....  
.....Pin Code.....
6. Whether married/unmarried : .....
7. Name of wife/husband : .....
8. \*Number of children and their dates of birth : .....  
.....
9. Telephone No. ....Mobile No.....
10. E-mail Address: .....
11. Date of Birth: .....

12. Age as on 30.06.2013 .....Years .....Months
13. Whether SC/ST/OBC: ..... (enclose certificate)
14. **Educational qualifications:\***

Exam. Passed	Year	Division	% of marks	Board / University

15. **Technical qualifications:\***

Exam. Passed	Year	Division	% of marks	Board / University

16. **Experience if any\***

S.No	Post Held	Salary	Period			Employer's Address	Reason for leaving
			From	To	Year /Months		

2. Demand Draft No.....Date.....Amount.....Bank Name.....

I hereby declare that the information furnished above me is true to the best of my knowledge, if any information is found to be false/wrong/misleading in the form/documents, my candidature shall be liable to be rejected at any stage of the recruitment.

Place.....

Date.....

Signature of the candidate

**\*Attach separate sheet if required.**

**List of enclosures:-**

- |                              |                      |                              |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Date of Birth certificate | 2. Caste certificate | 3. Qualification certificate |
| 4. Experience certificate.   | 5. Demand Draft.     | 6. Other, if any.            |



# RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Regd. Office: C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur -302005

**SBU&PC-LIGNITE**

Khanij Bhawan, Tilak Marg, 'C' Scheme, Jaipur-302005

Ph. 0141-2227938, 2227949 / Fax - 0141-2227761

E-mail: rsmmljpr@sancharnet.in

क्रमांक: एफ.8(2)/187/2013/

दिनांक: 28.06.2013

## आवश्यकता

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, जो कि लाभ अर्जित करने वाला राजस्थान सरकार का उपक्रम है व जिसका खनिज क्षेत्र में कारोबार लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा है; को अपनी लिग्नाईट खदानों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति बावत योग्य परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थियों की निम्नानुसार आवश्यकता है :-

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	आरक्षण			**पे-बैंड एवं ग्रेड पे (रूपये)	अधिकतम आयु 30.6.2013 तक
			अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग		
1.	सहायक ओवरमैन	8	2	1	1	*नियत पारिश्रमिक रु0 13050/- प्रतिमाह **पे-बैंड-2 (9300-34800) व ग्रेड पे रु0 4200/-	26 वर्ष
2.	माईनिंग सरदार	21	4	3	2	* नियत पारिश्रमिक रु0 8950/- प्रतिमाह **पे-बैंड-1 (5200-20200) व ग्रेड पे रु0 2800/-	26 वर्ष
* परिवीक्षाकाल के दौरान **सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूरा होने के बाद							

उपरोक्त पदों के लिए प्रारंभिक नियुक्ति नियत पारिश्रमिक पर 2 वर्ष के लिए बतौर परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट [www.rsmm.com](http://www.rsmm.com) पर देखी जा सकती है। निर्धारित प्रार्थना-पत्र हमारी उपरोक्त वेब-साईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से कार्मिक शाखा आरएसएमएम लि0 खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 राजस्थान से प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 13.8.2013 है।

समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट)



# RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Regd. Office: C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur -302005

## SBU&PC-LIGNITE

Khanij Bhawan, Tilak Marg, 'C' Scheme, Jaipur-302005

Ph. 0141-2227938, 2227949 / Fax - 0141-2227761

E-mail:rsmmljpr@sancharnet.in

क्रमांक: एफ.8(2) / 187 / 2013 /

दिनांक: 28.6.2013

## आवश्यकता

1. सहायक ओवरमेन 8 पद  
(अनारक्षित- 4, अनुसूचित जाति - 2, अनुसूचित जनजाति- 1, अ.पि.व -1).

योग्यता: सीनियर सैकेण्ड्री के साथ कोयला खान विनिमय (सी.एम.आर.) 1957 के अन्तर्गत ओवरमेन का दक्षता प्रमाण-पत्र या खनि अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के साथ भूमिगत कोयला खानों में 1 वर्ष का अनुभव ।

2. माईनिंग सरदार 21 पद  
(अनारक्षित -12, अनुसूचित जाति -4, अनुसूचित जनजाति -3, अ.पि.व.- 2)  
योग्यता : सीनियर सैकेण्ड्री के साथ कोयला खान विनिमय (सी.एम.आर.) 1957 के अन्तर्गत माईनिंग सरदार का दक्षता प्रमाण-पत्र एवं मान्य प्राथमिक चिकित्सा (First-Aid) प्रमाण-पत्र ।

पदों का अनुक्रमांक	वेतनमान	पे-बैन्ड नम्बर	मसिक नियत पारिश्रमिक	अधिकतम आयु (30.6.2013)
1	रु. 9300-34800 ग्रेड पे रु. 4200/-	2	13050/-	26 वर्ष
2	रु. 5200-20200 ग्रेड पे रु. 2800/-	1	8950/-	26 वर्ष



## नियुक्ति के नियम व शर्त :-

1. अनुक्रमांक 1 से 2 तक के पदों के लिए प्रारम्भिक नियुक्ति नियत पारिश्रमिक पर 2 वर्ष के लिए बतौर परीविक्षा प्रशिक्षणार्थी होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बढाई जा सकती है ।
2. परीविक्षा अवधि के दौरान नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि कोई भी भत्ता कम्पनी नियमों के अन्तर्गत देय नहीं होगा, केवल प्रतिवर्ष 12 आकस्मिक अवकाश व चिकित्सा पुर्नभरण परीविक्षा अवधि में देय होगा । परीविक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (इन्सैंटिव) का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा ।
3. उपरोक्तानुसार 2 वर्षों की परीविक्षा अवधि के सफलता-पूर्वक पूर्ण होने पर उपरोक्त विनिर्दिष्ट वेतनमान संबंधित पद हेतु दिया जायेगा । साथ ही अन्य स्वीकृत भत्ते कम्पनी के नियमों के अन्तर्गत देय होंगे । नियमित अभ्यर्थियों को एक बंधक अनुबन्ध करना होगा जिसके अनुसार संस्थान में 3 वर्ष तक कार्य करना होगा जो कि अतंलीन की दिनांक से प्रभावी होगा ।
4. अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र के साथ नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र चालू वित्तीय वर्ष का देना होगा ।
5. उच्च योग्यता प्राप्त/अनुभवी आवेदकों की स्थिति में अधिकतम आयु में छूट दी जा सकती है ।
  - (अ) ऊपर वर्णित आयु सीमा नियमानुसार है एवं अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के नियत प्रारूप में देना होगा ।
  - (ब ) विभागीय अभ्यर्थियों की आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी ।
  - (स) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही एससी/एसटी/ओबीसी को देय होगा । आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जो कि राजस्थान के बाहर के होंगे, सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में सम्मिलित किये जायेंगे । महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट होगी ।
6. ऐसे आवेदक जो कि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान में कार्यरत हैं, वे साक्षात्कार के समय सम्बन्धित संस्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थता (कैन्डीडेचर) खारिज कर दी जायेगी ।

7. साक्षात्कार हेतु बाहर से बुलाये गये अभ्यर्थियों को उनके वर्तमान निवास स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक आने जाने का द्वितीय श्रेणी का रेल/बस का किराया टिकिट इत्यादि प्रस्तुत करने पर देय होगा ।
8. नियत दिनांक के पश्चात या अपूर्ण आवेदन पत्र बिना कारण बताये निरस्त कर दिये जायेंगे । निर्धारित फीस के अभाव में भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे ।
9. यदि इस विज्ञापन के प्रतिउत्तर में आवेदनों की संख्या अधिक हुई तो कम्पनी साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या को समुचित संख्या तक सीमित करने हेतु इस विज्ञापन में दी गई न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव से उच्चतर योग्यता एवं अनुभव वाले आवेदकों को ही साक्षात्कार हेतु बुला सकती है ।

#### 10. नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं :-

- (अ) किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा । किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
- (ब) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा । किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
- (स) किसी भी विवाहित पुरुष / महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन हेतु " दहेज " से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 में है (सैन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) ।

- (द) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा ।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी ।

11. नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन/बदलाव / प्रतिबंध/बढाना/निरस्त करने का अधिकार आरएसएमएमएल को होगा । यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के /कारण के किया जा सकता है । प्रबन्धन वर्ग का निर्णय इस सम्बन्ध में अंतिम होगा ।
12. समय समय पर संशोधन की बेवसाईट किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु देखते रहें ।

आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जो कि हमारी बेवसाईट 'www.rsmm.com' से download की जा सकती है । आवेदन के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक-तालिकायें, आयु, जाति, अनुभव इत्यादि के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट), राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, एसबीयू-पीसी-लिग्नाईट, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 को प्रेषित की जानी चाहिये । आवेदन के साथ अदेय भारतीय पोस्टल ऑर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 250/- (रूपये 125/- का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए) का जो कि आर.एस.एम.एम.एल. जयपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना आवश्यक है । निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 13.08.2013 तक हमें प्राप्त हो जाने चाहिये । किसी भी प्रकार की डाक व्यवस्था के कारण या गलत वितरण से देरी के लिए 'आर.एस.एम.एम.एल.' जिम्मेदार नहीं होगा ।

समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट)

प्रपत्र-6

शपथ-पत्र

च(प्रथम उपस्थिति देते समय केवल सफल/चुने गए अभ्यर्थियों द्वारा देय)

मैं, .....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....  
निवासी.....

.....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह  
श्रीमती/श्री

.....निवासी.....  
..... के साथ संपन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व  
दिनांक ..... को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है ।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .....  
निवासी .....

..... के साथ दिनांक ..... को राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण  
पंजीकृत नहीं हुआ है ।

या

मैं ..... अविवाहित हूँ ।

या

मैं.....विधुर/विधवा हूँ ।  
(पत्नि/पति श्री/श्रीमती.....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री .....  
के साथ दिनांक ..... को संपन्न हुआ था ।

हस्ताक्षर

शपथकर्ता